संख्या– 700 /26–ब0प्र0–2010–4(154)/2005–टी0सी0

प्रेषक,

भूपेन्द्र सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण लखनऊ, दिनांकः 17 अगस्त , 2010

विषयः– संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष धनराशि स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–63/ज0जा0वि0/2010–11, दिनांक 28–4–2010 एवं शासनादेश संख्या–287/26–ब0प्र0–2010–4(154)/2005–टी0सी0, दिनांक 31–3–2010 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष रू0 350.00 लाख जो अनुगम के पी0एल0ए0 में रखी गयी है, में से वित्तीय वर्ष 2010–11 में रू0 186.27 लाख स्वीकृत कार्यो पर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । स्वीकृत किये जा रहे कार्यो का विवरण निम्न प्रकार है :–

(धनराशि लाख रू0 में)

क0सं0	कार्य का विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	राज्य/भारत सरकार को प्रस्तावित धनराशि	आगणन की धनराशि की स्वीकृति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1–जनपद खीरी					
1	परियोजनान्तर्गत वनकटी हास्पिटल की बाउन्ड्रीवाल का निर्माण (लम्बाई–350.00मी0)	समाज कल्याण निर्माण निगम	12.50	12.40	
2	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चंदनचौकी खीरी में बरामदा, जनरेटर रूम तथा कीटाणुरहित कक्ष का निर्माण	समाज कल्याण निर्माण निगम	6.00	6.26	
3	पशु चिकित्सालय नझोटा तथा बनकटी में स्टाकमैन सेन्टर का निर्माण	समाज कल्याण निर्माण निगम	15.00	15.15	
4	पशु चिकित्सालय चंदनचौकी में स्टोररूम तथा कीटाणुरहित कक्ष का निर्माण	समाज कल्याण निर्माण निगम	3.00	2.86	
7	परियोजनान्तर्गत 06 प्राइमरी स्कूल की बाउन्ड्रीवाल का निर्माण	समाज कल्याण निर्माण निगम	25.00	25.51	
5	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय बेला परसुआ खीरी की बाउन्ड्रीवाल का निर्माण	समाज कल्याण निर्माण निगम	6.00	19.60	

6	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, छाउछ खीरी में 10 शौचालय का निर्माण	समाज कल्याण निर्माण निगम	6.78	6.78	
7	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, वेला परसुआ खीरी में 10 शौचालयों का निर्माण	समाज कल्याण निर्माण निगम	6.78	6.78	
8	इण्डिया मार्का–।। हैण्डपम्प का निर्माण (100 नग)	जल निगम	28.60	28.60	
9	फील्ड हास्टल चंदनचौकी का जीणोद्वार	समाज कल्याण निर्माण निगम		6.51	
10	फील्ड हास्टल चंदनचौकी की बाउंन्ड्रीवॉल का निर्माण	समाज कल्याण निर्माण निगम	15.00	9.46	
2–जनपद बलरामपुर					
1	पी0डब्लू0डी0 रोड भगवानपुर उत्तर–दक्षिण से पी0डब्लू0डी0 रोड,सोनपुर भगवानपुर रोड तक लम्बाई–1.00कि0मी0	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा	33.77	33.77	
2	पी0डब्लू0डी0 रोड से ग्राम कुहरगड्डी होते श्री रामलोटन के मकान से कुकुरभुकुवा पी0डब्लू0डी0 रोड का अवशेष भाग(लम्बाई–0.200कि0मी0)	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा	5.81	5.81	
3–जनपद बिजनौर					
	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, नजीबाबाद बिजनौर में 10 शौचालयों का निर्माण	समाज कल्याण निर्माण निगम	6.78	6.78	
	महायोग–		341.02	186.27	

(रूपये एक करोड़ छियासी लाख सत्ताइस हजार मात्र)

2– निदेशक जनजाति विकास द्वारा अपने पत्र संख्या–516/ज0जा0वि0/2009–10, दिनांक 25 मार्च, 2010 द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्यदायी संस्थाओं के आगणन के सापेक्ष उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा एवं जल निगम से ही कार्य कराये जाने हेतु कार्यदायी संस्था नामित की जाती है।

3– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–8 के शासनादेश संख्या–ई–8/1210–2008, दिनांक 04 अप्रैल, 2008 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–3–1479/दस–2010, दिनांक 13 अगस्त , 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(भूपेन्द्र सिंह)
सचिव ।

संख्या– 700 (1)/26–ब0प्र0–2010–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार,उ0प्र0,इलाहाबाद ।
2– कोषाधिकारी, जवाहर भवन/कलेक्ट्रेट, कैसरबाग, लखनऊ।
3– प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, लखनऊ।
4– प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम/जल निगम/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा।
5– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/एन0आई0सी0 की प्रति।
6– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2/
7– राज्य योजना आयोग–1/2
8– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
अनु सचिव ।